फाइल नं. 36002/16/2022/एनसीवीईटी
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्
भारत सरकार

आदेश

दिनांक: 15.05.2023

विषय: **<u>एनसीवीईटी द्वारा विकसित व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हताओं के लिए दिशानिर्देश</u>**

1. माननीय प्रधान मंत्री का विज़न भारत को दुनिया की कौशल राजधानी और विनिर्माण केंद्र बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों से, सरकार ने देश में वीईटी और कौशल के लिए एक सक्षम और उत्साहजनक वातावरण प्रदान किया है।

2. कौशल क्षेत्र के भीतर डिप्लोमा जैसी उच्च-स्तरीय अर्हता को औपचारिक करने की उभरती आवश्यकता रही है जो इसके आकांक्षात्मक मूल्य को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह अन्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रगति मार्ग भी प्रदान करेगा और इस प्रकार, एनईपी के तहत परिकल्पित व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा को सही मायने में एकीकृत करेगा।

3. तदनुसार, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल क्षेत्र से संबंधित डिप्लोमा अर्हताओं के एनएसक्यूएफ संरेखण एवं अनुमोदन को सक्षम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हता के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के प्रावधान एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों पर लागू होंगे।

4. व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हता के लिए दिशानिर्देशों को दिनांक 20 मार्च 2023 को आयोजित एनसीवीईटी की 8वीं परिषद् बैठक में अनुमोदित किया गया था और एतद्द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के दौरान फीडबैक और अपेक्षाओं के आधार पर एनसीवीईटी के अनुमोदन से इन दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित/अद्यतन किया जा सकता है।

कर्नल संतोष कुमार
सचिव, एनसीवीईटी

व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हता के लिए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
(एनसीवीईटी)

दिनांक: 15 मई 2023

विषय सूची

1. प्रस्तावना 2
2. कार्यक्षेत्र 4
3. डिप्लोमा अर्हताएँ 4
4. वर्तमान परिदृश्य 4
5. कौशल में डिप्लोमा अर्हताएं लोने की आवश्यकता और तात्कालीकता 5
6. वीईटी और कौशल में डिप्लोमा/डिप्लोमा (उन्नत) के लिए कार्य ढांचा 7
7. मूल सिद्धांत 7
8. कार्यान्वयन और प्रचालित करना 9
9. डिप्लोमा के लिए मार्गों का संवर्द्धन करना 23
10. निगरानी 23
11. प्रगति 23

अनुबंध 1: समिति का गठन और टीओआर 25

अनुबंध 2: भारत में वर्तमान डिप्लोमा पारितंत्र 27

अनुबंध 3: विभिन्न नियामकों के अंतर्गत डिप्लोमा/डिप्लोमा (उन्नत) 30

अनुबंध 4: 'अनुमोदन के लिए प्रपत्र' का टेम्पलेट 31

अनुबंध 5: डिप्लोमा/डिप्लोमा (उन्नत) अर्हताओं का मूल्यांकन 32

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हता के लिए दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की अनेक बढ़ती हुई विकासपरक अनिवार्यताओं को पूरा करना है। एनईपी 2020 मुख्य रूप से यह दर्शाती है कि समग्र विकास और विषयों तथा पाठ्यक्रमों के व्यापक विकल्प शिक्षा की नई अद्वितीय विशेषता होनी चाहिए और ''पाठ्यक्रम'', ''पाठ्येत्तर'' या ''सह-पाठ्यक्रम'' के बीच, ''कला'', ''मानविकी'' और ''विज्ञानों'' के बीच या ''व्यावसायिक'' या ''शैक्षिक'' विषयों के बीच कोई कोष विभाजन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आशाय और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचा (एनसीआरएफ) विकसित किया गया है जो स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक या कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को निर्बाध रूप से समेकित करने का एक सर्व समावेशी कार्यढांचा है। यह अंतर को हटाकर, लोचशीलता और साचलता सुनिश्चित करके और सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच शैक्षिक सामानता स्थापित करके एनईपी 2020 के विजन और आशय को प्राप्त करने में एक बड़ी उपलब्धि होगा। ऐसे समेकन से विद्यार्थियों की आगामी प्रगति के लिए अनेक विकल्प खुल जाएंगे और व्यावसायिक स्ट्रीम से सामान्य शिक्षा और इसके विपरीत गमन में प्रवेश और पुन: प्रवेश संभव बनेगा और इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा और कौशल मुख्य धारा में आ जाएंगे।

1.2 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 दिसंबर, 2018 को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में दीर्घावधिक और अल्पावधिक दोनों में कार्यरत संस्थानों के कार्यकरण को विनियमित करने और ऐसे संस्थानों के कार्यकरण के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। एनसीवीईटी का एक प्रमुख कार्य अर्हताओं को अनुमोदित करना है ताकि उन्हें राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचे (एनएसक्यूएफ) से सुमेलित किया जा सके जो एक ऐसा राष्ट्रीय समेकित दक्षता आधारित कार्यढांचा है जो व्यक्तियों को वांछित दक्षता स्तर प्राप्त करने, नौकरी के बाजार में जाने और सही समय पर अपनी दक्षताओं का और अधिक उन्नयन करने के लिए अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने के लिए वापस आने में सक्षम बनाता है। इससे किसी व्यक्ति को अपनी व्यावसायिक यात्रा के साथ निरंतर और जीवन भर प्रशिक्षण लेना संभव बनता है और इस प्रकार ''कमाते समय सीखे'' की संकल्पना को सही मायनों में कार्यान्वित कर रहा है।

1.3 वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा कौशल पारितंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचे (एनएसक्यूएफ) के तहत सुमेलित और अनुमोदित अर्हताओं को एक से आठ के बीच स्तरों पर रखा जाता है और अधिकांशत: प्रशिक्षार्थियों को केवल प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। पूर्ववर्ती एनएसडीए ने कतिपय डिप्लोमा अर्हताओं को अनुमोदित और सुमेलित किया था। तथापि, डिप्लोमा अर्हताओं के अनुमोदन और सुमेलन के संबंध में कोई स्पष्ट दिशनिर्देश नहीं थे। एनसीवीईटी के बनने के बाद पारितंत्र को युक्तिसंगत बनाने के दौरान डिप्लोमा अर्हताओं संबंधी दिशानिर्देशों की जरूरत पुन: एनईपी 2020 और एनसीआरफ के आलोक में विशेष रूप से उभर कर सामने आई है।

1.4 भारत को विश्व की कौशल संबंधी राजधानी और विनिर्माण केंद्र बनाने का माननीय प्रधान मंत्री का विजन है । एनईपी 2020 और एनसीआरएफ जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ सरकार ने देश में वीईटी और कौशल के लिए एक समर्थकारी और प्रोत्साहित करने वाला वातावरण प्रदान किया है। डिप्लोमा जैसी उच्च स्तरीय अर्हता को कौशल डोमेन के भीतर औपचारिक बनाना इसके महत्वाकांक्षी मूल्य को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और सही मायनों में एनईपी और एनसीआरफ के प्रावधानों के जरिये व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा को समेकित करेगा।

1.5 इसके अलावा, हाल में एनसीवीईटी को डिप्लोमा अर्हताओं को सुमेलित और अनुमोदित करने के लिए प्रदानकर्ता निकायों (एबी) से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। एबी ने अनुरोध किया है कि डिप्लोमा प्रमाण पत्रों को समर्थ बनाने से प्रशिक्षार्थियों को प्रगति के उच्चतर अवसर मिलेंगे और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्वाकांक्षी मूल्य में वृद्धि होगी। इस मामले पर 30 जून, 2022 को हुई राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 20वीं बैठक में चर्चा की गई थी। इस मामले को नोट करते हुए एनएसक्यूसी ने एक समिति गठित करने का निदेश दिया जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), एमएसडीई, एसएससी और अन्य संबंधित निकायों के सदस्य शामिल होंगे ताकि एनएसक्यूएफ के सुमेलन और व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल से संबंधित ''डिप्लोमा/डिप्लोमा (उन्नत)'' के अनुमोदन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किये जा सके। तदनुसार, 28 जुलाई, 2022 को एक समिति गठित की गई थी। विस्तृत विचाराधीन मुद्दों के साथ-साथ समिति का गठन **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न है। यूजीसी और एआईसीटीई सहित समिति सदस्यों ने दिनांक 05/12/22 और 24/02/23 के पत्रों द्वारा क्रमश: व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटी) में डिप्लोमा अर्हताओं के लिए इन दिशानिर्देशों से सहमति जतायी है।

2. कार्यक्षेत्र

2.1. तदनुसार, इन दिशानिर्देशों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र से संबंधित डिप्लोमा और डिप्लोमा (उन्नत) अर्हताओं के सुमेलन और अनुमोदन के लिए एनएसक्यूएफ को समर्थ बनाने हेतु तैयार किया गया है। यह केवल एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदानकर्ता निकायों पर ही लागू होते हैं।

3. डिप्लोमा योग्यताएं

3.1 ''डिप्लोमा'' शब्द को विश्व भर में अनेक तरह से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। सामान्यत: इसे किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदत्त एक प्रमाण पत्र को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो यह बताता हो कि किसी ने अधिगम के किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अधिगम के ऐसे पाठ्यक्रम प्राय: समान विषय के किसी केंद्र क्षेत्र में उच्चतर स्तर के होते हैं। कभी-कभी डिप्लोमा पेशेवर/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आमतौर पर अर्जित किसी विशिष्ठ शैक्षिक पुरस्कार को दर्शाता है।

3.2 व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा कौशल में किसी डिप्लोमा का अर्थ किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी उच्चतर क्रम की एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित अर्हता होगा जिससे कोई केंद्रित नौकरी या अधिगम प्राप्त होता हो। इस प्रकार डिप्लोमा अर्हता की मूल विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क. यह एक दीर्घावधिक अर्हता है।

ख. यह एक उच्चतर स्तर का अधिगम है। अर्थात स्कूली शिक्षा से उच्चतर, परंतु किसी डिग्री कार्यक्रम में लेटरल प्रवेश के प्रावधानों के अंतर्गत को छोड़कर कोई डिग्री न देता हो।

ग. यह सामान्यत: अधिगम का एक केंद्र या विशिष्ट क्षेत्र होता है जो बाजार में किसी व्यवसाय/नौकरी में भूमिका तक पहुंचाता है।

4. वर्तमान परिदृश्य

4.1 एआईसीटीई और यूजीसी जैसे सरकारी नियामकों के दिशानिर्देशों के अंतर्गत उनके मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने पर औपचारिक ''डिप्लोमा/पोस्ट/पीजी डिप्लोमा'' प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ऐसे प्रमाण पत्रों को उच्चतर स्तर की तकनीकी/सामान्य शिक्षा में सरकारी भर्ती और लेटरल प्रवेश के लिए व्यापक तौर पर स्वीकृत

किया जाता है।

4.2 इसके अलावा, इस व्यवस्था में विभिन्न गैर-विनियमित स्वतंत्र संगठन हैं और वे भी अपने पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण पूरा करने पर डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। डिप्लोमा को एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है और ये सामान्यत: सरकारी भर्ती और उच्चतर स्तर की सामान्य शिक्षा में लेटरल प्रवेश के लिए पात्र नहीं होते हैं।

4.3 यूजीसी अधिनियम द्वारा विनियमित ''डिग्री'' शब्द से अलग ''डिप्लोमा'' शब्द का प्रयोग किसी अधिनियम के अंतर्गत सीमित नहीं है। इससे किसी संस्थान को प्रशिक्षार्थियों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति मिल जाती है। तथापि, ऐसे संस्थान प्रशिक्षार्थियों को प्रमाणित करते समय एआईसीटीई/केंद्रीय/राज्य सरकार के संस्थानों आदि द्वारा ''विधिवत रूप से अनुमोदित'' शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

4.4 एआईसीटीई, यूजीसी और अन्य सहित देश में डिप्लोमा प्रदान करने की वर्तमान व्यवस्था का ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

5. कौशल में डिप्लोमा योग्यता लाने की आवश्यकता और तात्कालिकता

5.1 महत्वाकांक्षा सृजित करना: माननीय प्रधान मंत्री जी का विजन भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि वीईटी और कौशल कार्यक्रमों में इस पारितंत्र में अर्हता का महत्व हो ताकि प्रशिक्षार्थियों द्वारा वे वांछित हों। वर्तमान में वीईटी और कौशल पारितंत्र से प्रशिक्षार्थी केवल उनके द्वारा किए गए सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। डिप्लोमा नाम इस पारितंत्र में एक प्रतिष्ठा रखता है और एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित डिप्लोमा की अनुमति देने से न केवल प्रशिक्षार्थियों के मन में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रमों के प्रति महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, बल्कि प्रमाणन की बढ़ी हुई मान्यता के जरिये रोजगार अर्हता में भी वृद्धि होगी।

5.2 क्रेडिटीकरण: आगामी राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचा (एनसीआरफ) सभी शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताओं का क्रेडिटीकरण प्रदान करता है जिसमें स्कूली, उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम सभी शामिल हैं। एनसीआरफ अधिगम के सभी प्रकारों और विषयों जिनमें व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल शामिल हैं, को समान महत्व देता है। इससे एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित डिप्लोमा धारक किसी प्रशिक्षार्थी को समान अवधि और एनसीआरफ स्तरों की किसी अन्य शैक्षिक कार्यक्रम के समान क्रेडिट प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल

सामान्य शिक्षा और जीवन भर अधिगम सहित अनेक प्रवेश और निकास तथा अन्य विषयों में प्रगति जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए क्रेडिट एकत्र करने और उपयोग करने का अवसर मिलेगा, बल्कि एनएसक्यूएफ डिप्लोमा को अधिगम क्षेत्र और नौकरी के बाजार दोनों में समान महत्व भी मिलेगा।

5.3 एमई-एमई मार्ग प्रदान करना: औपचारिक डिप्लोमा अर्हताओं से वर्तमान पॉलीटेकनिक जैसी सामान्य शिक्षा के लिए आगामी लिंकेज में सक्षम बना सकती हैं जैसे वर्तमान पॉलीटेकनिक में इंजीनियरिंग डिग्री के लिए विकल्प हैं।

5.4 मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन: एनएसक्यूएफ अर्हताएं व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में एक बड़ा स्थान रखती हैं, परंतु अधिकांश प्रशिक्षार्थियों को केवल प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। विभिन्न संस्थानों द्वारा कौशल प्रणाली में प्रदत्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र अधिकांशत: अविनियमित हैं जिससे प्राय: प्रशिक्षार्थियों, शिक्षा क्षेत्र और उद्योग के मन में भ्रम और गलत व्याख्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा, मानकीकृत प्रतिमानों, पाठ्यक्रम और विषयवस्तु के अभाव के कारण अधिगम परिणामों में एक डिप्लोमा अर्हता से दूसरे में भारी अंतर होता है। अत: डिप्लोमा अर्हताओं में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत प्रतिमानों, मानदंडों और प्रक्रियाओं के जरिये डिप्लोमा अर्हताओं को औपचारिक बनाने की जरूरत है।

5.5 सामान्य शिक्षा के साथ एकीकरण और समतुल्यता: एनईपी 2020 और एनसीआरफ के आरंभ के साथ विषय पर अधिगम सहित समग्र शिक्षा की संकल्पना और अधिक शैक्षिक संस्थाओं में होगी। इससे औपचारिक डिप्लोमा अर्हता रखने वाले किसी प्रशिक्षार्थी को न केवल तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र में सीमित अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि सामान्य शिक्षा में भी अवसर मिलेंगे। उच्चतर शिक्षा मॉडल में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने से डिप्लोमा के द्वारा एकीकृत अधिगम विकल्प उपलब्ध होंगे।

5.6 वीईटी और कौशल के सभी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय (डिप्लोमा) अर्हताओं को सक्षम बनाना: एनएसक्यूएफ अनुमोदित अर्हताएं वर्तमान में सभी क्षेत्रों में मौजूद हैं, परंतु इनमें केवल प्रमाण पत्र दिये जा रहे हैं। वर्तमान एआईसीटीई डिप्लोमा कार्यक्रम केवल इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी क्षेत्रों और पैरा मेडिकल और प्रबंधन और क्षेत्रों जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में ही डिप्लोमा प्रदान कर रहे हैं। अत: इसमें भारी अंतर है और कृषि वस्त्र, खनन बीएफएसआई आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में डिप्लोमा अर्हताओं की आवश्यकता है। एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित ऐसे डिप्लोमा अर्हताएं जो उद्योग के साथ भागीदारी में चलाये गये भविष्य के पाठ्यक्रमों सहित इन सभी क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करेगी। इससे सभी संगत क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा को तेजी से फैलाने में मदद मिलेगी और शैक्षिक दायरा/उपलब्धि बढ़ेगी जिससे एनईपी 2020 में यथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होगी।

5.7 उद्योग मान्यता: ''डिप्लोमा'' नाम की उद्योग और नौकरी के बाजार में एक प्रतिष्ठा और मान्यता है। इस प्रकार इसे औपचारिक रूप देने और प्रशिक्षार्थियों को ''डिप्लोमा'' प्रदान करने से रोजगार अर्हता और आकांक्षा में वृद्धि होगी। ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें एआईसीटीई या यूजीसी द्वारा नहीं विनियमित किए गए संस्थानों जैसे आईटी क्षेत्र में एप्टेक और एनआईआईटी द्वारा डिप्लामो प्रदान किये जाते हैं और उद्योग द्वारा स्वीकार किये जाते हैं। विशेष रूप से वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों जिनमें ऐसे कार्यक्रमों की स्वीकार्यता पहले से है, में ऐसे डिप्लोमा से वीईटी और कौशल में डिप्लोमा अर्हता की प्रतिष्ठा और मान्यता में और अधिक वृद्धि होगी।

5.8 अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता: किसी डिप्लोमा की उद्योग में बढ़ी हुई मान्यता और प्रतिष्ठा केवल राष्ट्रीय नौकरी बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इसका महत्व बढ़ता है। हम पहले से ही मध्य पूर्व के सभी देशों में डिप्लोमा धारकों को मांग देखते हैं। अत: सभी क्षेत्रों में डिप्लोमा प्रमाणन का दायरा बढ़ाने से प्रशिक्षार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय अर्हता कार्यढांचे के साथ समतुल्यता बनाने से डिप्लोमा अर्हता के औपचारीकरण के जरिये परस्पर मान्यता से ऐसी गतिशीलता में सुविधा भी उपलब्ध होगी।

6. वीईटी और कौशल डिप्लोमा/डिप्लोमा (उन्नत) के लिए फ्रेमवर्क

6.1. ऊपर उल्लिखित खंड से यह स्पष्ट है कि व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल पारितंत्र के लिए डिप्लोमा कार्यक्रम को औपचारिक बनाने की एक निर्धारित आवश्यकता है; डिप्लोमा प्रदान करना किसी अधिनियम के अंतर्गत डिग्री देने की तरह सीमित नहीं है, और वीईटी तथा कौशल के लिए डिप्लोमा तंत्र को औपचारिक बनाने की आवश्यकता है ताकि डिप्लोमा के दुरूपयोग को कम किया जा सके और प्रमाणन के साथ संलग्न आकांक्षी मूल्य को सभी वीईटी और कौशल प्रशिक्षार्थियों के लिए औपचारिक रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

7. मूल सिद्धांत

7.1 स्पष्ट अंतर: एआईसीटीई और एनसीवीईटी के विनियामक दायरे के बीच एक स्पष्ट अंतर सुनिश्चित किया जाएगा जिससे किसी विनियामक अतिव्यापन का परिहार होगा। एनसीवीईटी केवल व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा कौशल क्षेत्र के लिए डिप्लोमा अर्हताओं को अनुमोदित करेगा।

7.2 एनसीवीईटी मान्यता: केवल एनसीवईटी - मान्यता प्राप्त प्रदानकर्ता निकाय डिप्लोमा अर्हताओं के

कार्यान्वयन में सक्षम होंगे। एनसीवीईटी ऐसे प्रदानकर्ता निकायों के लिए अतिरिक्त मानक विहित करेगा जो अपेक्षित अवसंरचना और अन्य संसाधन स्थापित करने के लिए डिप्लोमा अर्हताएं चलाने की इच्छा रखते हैं।

7.3 एनएसक्यूएफ का अनुपालन: सभी डिप्लोमा अर्हताएं राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचे (एनएसक्यूएफ) से सुमेलित होनी चाहिए और राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा यथा विहित सभी एनएसक्यूएफ मानकों और अनुपालनों का विधिवत रूप से पालन किया जाएगा।

7.4 एआईसीटीई मानकों का अनुपालन: उक्त पैरा में यथा उल्लिखित एनएसक्यूएफ मानकों के अलावा सभी डिप्लोमा अर्हताएं प्रवेश अपेक्षाओं और अवधि, पाठ्क्रमों के स्तर आदि से संबंधित विहित न्यूनतम एआईसीटीई मानकों के अनुपालन में होंगी। इससे वीईटी और कौशल क्षेत्र के अंतर्गत डिप्लोमा अर्हताओं की गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित होंगे और इस प्रकार उद्योग द्वारा समान मान्यता का मार्ग प्रशस्त होगा।

7.5 समतुल्यता: ये डिप्लोमा अर्हताएं **अनुबंध-3** में यथा वर्णित अवधि, प्रवेश अपेक्षाओं आदि के अनुसार डिप्लोमा/डिप्लोमा (उन्नत) और एआईसीटीई मानकों को प्रदान करने से संबंधित एनएसक्यूएफ प्रतिमानों का अनुपालन करेंगी। चूंकि ये अर्हताएं दोनों विनियामकों अर्थात एआईसीटीई और एनसीवीईटी के प्रतिमानों और मानकों का पालन करेंगी इसलिए ये वही एनसीआरफ स्तर और क्रेडिट प्राप्त करेंगी जैसा एआईसीटीई डिप्लोमा कार्यक्रम प्राप्त करते हैं । एआईसीटीई और यूजीसी डिप्लोमा कार्यक्रमों के साथ-साथ एनएसक्यूएफ - सुमेलित और अनुमोदित डिप्लोमा/डिप्लोमा (उन्नत) अर्हताओं के नियोजन का एक स्नैप शॉट **अनुबंध-3** में दिया गया है।

7.6 विस्तृत और व्यापक मूल्यांकन: अर्हताओं को गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों, मूल्यांकनकर्ताओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से काफीविस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन रखा जाएगा।

8. कार्यान्वयन और प्रचालनीकरण

8.1 डिप्लोमा के प्रकार: जैसा कि व्यावसायिक डिप्लोमा के लिए एआईसीटीई प्रणाली में वर्तमान में मौजूद हैं, एनएसक्यूई सुमेलन और अनुमोदन के जरिये दो प्रकार के डिप्लोमा को औपचारिक रूप दिया जाएगा। अर्थात डिप्लोमा/ डिप्लोमा (एडवांस)।

8.2 प्रवेश अपेक्षाएं और अवधि

प्रकार	प्रवेश की अपेक्षा	अवधि (वर्षों या घंटे में)*	अधिगम के वर्ष	एनसी आरएफ स्तर	वार्षिक रूप से अर्जित क्रेडिट अंक	संचयी क्रेडिट अंक
डिप्लोमा	10वीं पास	3 वर्ष/ 3600 घंटे	पहला वर्ष	3.5	140	480
			दूसरा वर्ष	4	160	
			तीसरा वर्ष	4.5	180	
	लेटरल प्रवेश (डिप्लोमा के दूसरे वर्ष में): संगत विषय में 12वीं पास या संगत ट्रेड में 10वीं के बाद 2 वर्षीय एनटीसी/एनएसी	2 वर्ष/ 2400 घंटे	दूसरा वर्ष	4	160	340
			तीसरा वर्ष	4.5	180	
डिप्लोमा (उन्नत)	संगत विषय में 12वीं पास या संगत ट्रेड में 10वीं के बाद दो वर्षीय एनटीसी/एनएसी	2 वर्ष/ 2400 घंटे	पहला वर्ष	4.5	180	380
			दूसरा वर्ष	5	200	

** कुल समयावधि आदर्श रूप से सरल क्रेडिटीकरण के लिए 30 के गुणज में होनी चाहिए और उसमें रोजगार, अर्हता कौशल एनओएस अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए।*

किसी प्रशिक्षार्थी को डिप्लोमा या डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता को कार्यक्रम में प्रवेश/नामांकन की तारीख से 7 वर्षों के भीतर अवश्य पूरा कर लेना चाहिए। [डिप्लोमा के लिए 10वीं कक्षा के बाद तीन वर्ष डिप्लोमा (एडवांस्ड) के लिए 12वीं कक्षा के बाद दो वर्ष]

8.3. डिप्लोमा अर्हताओं की संरचना

8.3.1. डिप्लोमा अर्हताएं: 10वीं कक्षा के बाद तीन वर्षीय डिप्लोमा अर्हता में 120 क्रेडिट अर्थात प्रति वर्ष 40 क्रेडिट एकत्रित हो जाते हैं। इस तीन वर्षीय डिप्लोमा की समयाविध 3600 घंटे अर्थात 1200 घंटे प्रति वर्ष है। डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता 12वीं कक्षा के बाद 2400 घंटे (अर्थात 1200 घंटे प्रति वर्ष) की है जिसमें 80 क्रेडिट अर्थात प्रति वर्ष 40 क्रेडिट एकत्रित होते हैं।

व्यापक रूप से एक डिप्लोमा या डिप्लोमा (एडवांस्ड) की संरचना निम्नान्सार है:

क. मुख्य विषय: मुख्य विषय में ऐसे विषय शामिल हैं जो डिप्लोमा अर्हता के तहत रेखांकित नौकरी भूमिका (ओं) से सीधे संबंधित हैं। 65 प्रतिशत अर्हता में ऐसे मुख्य विषय शामिल होंगे। इन मुख्य विषयों में प्रशिक्षार्थियों को डिजाइन और अधिक विकल्प की लोचशीलता देने के लिए इन्हें निम्नानुसार अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों के रूप में विभाजित किया गया है:

i. अनिवार्य विषय: इनमें ऐसी दक्षताएं शामिल हैं जो डिप्लोमा के तहत निर्धारित नौकरी भूमिका के लिए निष्पादित किये जाने हेतु अनिवार्य रूप से अपेक्षित हैं। एक डिप्लोमा अर्हता में कुल अर्हता का कम से कम 50 प्रतिशत अनिवार्य विषयों के रूप में होना चाहिए।

ii. वैकल्पिक विषय: इनमें ऐसी दक्षताएं शामिल हैं जो स्वाभाविक रूप से अनिवार्य हैं परंतु जिन्हें ऐसी अन्य दक्षताओं के समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो डिप्लोमा अर्हता के तहत निर्धारित नौकरी भूमिका के निष्पादन में समान रूप से प्रभावी हैं। अत: किसी प्रशिक्षार्थी को वैकल्पिक रूप से निर्धारित दक्षताओं के समूह के बीच चयन की लोचशीलता दी जा सकती है। एक डिप्लोमा अर्हता में कुल अर्हता का 15 प्रतिशत वैकल्पिक विषय के रूप में हो सकता है।

ख. गैर-मुख्य (अंतरविषयक/बहु-विषयक) विषय: एनईपी 2020 के विजन को साकार करने के लिए अंतरविषयक विषयों को सीखने को डिप्लोमा अर्हताओं में बढ़ावा दिया जाएगा और इस प्रकार अर्हताएं समग्र और बहुविषयक बन जाएंगी। तदनुसार, एनसीआरफ के प्रावधानों के अनुसार डिप्लोमा अर्हता में कुल अर्हता का 25 प्रतिशत गैर-मुख्य विषयों के रूप में शामिल होगा। ये विषय ऐसे विषयों के समूह होंगे जो किसी नौकरी की भूमिका के अंतर्गत निष्पादन हेतु अनिवार्य नहीं हैं। तथापि, ये विषय प्रशिक्षार्थी के कौशल और दक्षता को बढ़ाएंगे जिससे वह डिप्लोमा अर्हता के तहत निर्धारित नौकरी की भूमिका निभाने में और अधिक सक्षम होगा या होगी। अत: ये विषय संभवत: नौकरी की भूमिका से सीधे संबंधित न हो, परंतु मुख्य कौशल और नौकरी की भूमिका के लिए अपेक्षित दक्षताओं को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता सुधार या नवाचार शामिल करने में मदद करेंगे।

ग. रोजगार अर्हता कौशल (ईएस): प्रशिक्षार्थी की की रोजगार अर्हता बढाने के लिए एनसीवीईटी ने 30

से 120 घंटे के बीच रोजगार अर्हता संबंधी कौशल के लिए एनओएसएस अनुमोदित किया है। इनमें विभिन्न कौशल समूहों संबंधी 12 अलग-अलग मॉड्यूल शामिल हैं जो उन्हें उद्योग के लिए तैयार करने और समग्र रूप से बेहतर नागरिक बनाने के लिए जरूरी हैं। एक डिप्लोमा अर्हता में निम्नानुसार रोजगार अर्हता कौशल शामिल होना चाहिए।

- **डिप्लोमा अर्हता-** 240 से 360 घंटे*
- **डिप्लोमा (उन्नत) अर्हता –** 180 से 240 घंटे*

** यदि कोई प्रदानकर्ता निकाय डिप्लोमा अर्हता के लिए 360 घंटे और डिप्लोमा (उन्नत) अर्हता के लिए 240 घंटे से कम का विकल्प चुनता है तो शेष घंटों को मुख्य विषयों के भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है।*

प्रदानकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईएस अधिगम घंटे सभी सत्रों में विभाजित हों और ऐसा कोई सत्र न हो जो ईएसएनओएस के बिना हो। तदनुसार, किसी सत्र में कम से कम 30 घंटे का एनओएस शामिल करना अनिवार्य हो जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईएसएनओएस को इस प्रकार से शामिल किया जाए कि पिछले सत्र से अगले सत्र में एक क्रमबद्ध प्रगति का निर्माण हो। दूसरे शब्दों में ईएस के मूल घटकों को आरंभिक सत्रों में शामिल किया जाना चाहिए और आगामी घटकों को बाद के सत्रों में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रदानकर्ता निकाय पहले से एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित ईएसएनओएस का उपयोग कर सकता है या अपना स्वयं का ईएसएनओएस तैयार कर सकता है। अपना स्वयं का ईओएनओएस तैयार करते समय प्रदानकर्ता निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन एनओएस में ऐसे मॉड्यूल शामिल हों जो एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित ईएसएनओएस का हिस्सा हों। वर्तमान में ईएसएनओएस में निम्नानुसार 12 मॉड्यूल शामिल हैं।

i. रोजगार अर्हता कौशल का परिचय;
ii. संवैधानिक मूल्य/नागरिकताएँ;
iii. 21वीं सदी में पेशेवर बनना;
iv. अंग्रेज़ी का कौशल;
v. कैरियर विकास एवं लक्ष्य निर्धारण;
vi. संप्रेषण कौशल;
vii. समावेशन, लिंग जागरूकता, पीडब्ल्यूडी आदि;
viii. वित्तीय एवं कानूनी साक्षरता;
ix. डिजिटल साक्षरता एवं कौशल;
x. उद्यमशीलता;
xi. ग्राहक सेवा; और
xii. नौकरी की तैयारी और परीक्षा की तैयारी

तथापि, उच्चतर स्तर की रोजगार अर्हता कौशल को उच्चतर शिक्षा को शामिल करना ताकि प्रशिक्षार्थी न केवल समकालीन नौकरी बाजार में काफी रोजगार योग्य हो बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार हो, अनिवार्य है। कार्य की जरूरतों के भविष्य से तालमेल बनाते हुए रोजगार अर्हता कौशल को उच्चतर स्तर की निम्नलिखित दक्षताओं को शामिल करके विभिन्न राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचे (एनसीआरफ) स्तरों के लिए युक्तिसंगत और मजबूत बनाया जा रहा है। (कार्य प्रगति पर है) जैसे

क. समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान
ख. रचनात्मक सोच और नवाचार
ग. विश्लेषणात्मक सोच
घ. अनुकूलन सोच
ड. डिजाइन सोच और रचनात्मकता
च. करणात्मक सोच
छ. सामाजिक बुद्धिमत्ता
ज. पार सांस्कृतिक अर्हता
झ. न्यू मीडिया साक्षरता
ञ. वर्चुअल सहयोगी
ट. निर्णय लेना
ठ. संघर्ष समाधान और बातचीत
ड. वसुधैव कुटुंबकम: एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य

इन ईएसएनओएस को एनएसक्यूएफ के लिए विकसित और सुमेलीकृत हो जाने पर डिप्लोमा और डिपलोमा (एडवांस्ड) अर्हता में ऐसे उच्चतर स्तर के कौशल के साथ शामिल किया जाएगा।

8.3.2. डिप्लोमा और डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता संरचना का एक संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

घटक		अवधि				प्रति सत्र क्रेडिट
	प्रतिशत (%) संघटन	डिप्लोमा (3 वर्ष)	डिप्लोमा (एडवांस्ड) (2 वर्ष)	वार्षिक	सत्र-वार	
मुख्य विषय (अनिवार्य)	50	1800	1200	600	300	10
मुख्य विषय (वैकल्पिक)	15	540	360	180	90	3
गैर - मुख्य	25	900	600	300	150	5
रोजगार अर्हता कौशल (ईएस)*	10	360*	240*	120*	60*	2
कुल	**100**	**3600**	**2400**	**1200**	**600**	**20**

** आंकड़े सांकेतिक हैं। कोई एबी किसी डिप्लोमा के लिए तीन वर्षों में 240 से 360 घंटे के बीच और प्रत्येक सत्र में कम से कम 30 घंटे एनओएस के साथ डिप्लोमा (एडवांस्ड) के लिए दो वर्ष में 180 से 240 घंटों के बीच कोई समयावधि चुन सकता है। जैसा कि ऊपर पैरा 8.3.1 (ग) में स्पष्ट किया गया है।*

8.4 एकाधिक प्रवेश और एकाधिक निकास (एमई-एमई) विकल्प: जैसा कि एनईपी में उद्देशित है और एनसीआरफ के प्रावधानों के अनुसार डिप्लोमा और डिप्लोमा (उन्नत) अर्हताओं में पढ़ने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्प भी प्रदान किए जा सकते हैं । प्रत्येक सत्र (6 महीने) पूरा करने के बाद डिप्लोमा या डिप्लोमा (एडवांस्ड) कार्यक्रम को छोड़ने वाले किसी प्रशिक्षार्थी को सफल मूल्यांकन के बाद एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये प्रमाण पत्र उचित एसक्यूएफ/एनसीआरफ स्तर दर्शाएगा और प्रशिक्षार्थी द्वारा अर्जित उचित क्रेडिट अंक दर्शाएगा। इससे कोई प्रशिक्षार्थी किसी बाद के समय में इस प्रमाण पत्र के आधार पर डिप्लोमा या डिप्लोमा (उन्नत) कार्यक्रम में पुन: प्रवेश लेने में भी सक्षम हो जाएगा। जिससे एनसीआरएफ के एमई-एमई प्रावधान सही अर्थों में संभव और प्रचालित होंगे। तथापि किसी प्रशिक्षार्थी को उक्त पैरा 8.2 में यथा उल्लिखित कार्यक्रम में प्रवेश / नामांकन की तारीख से 7 वर्षों के भीतर डिप्लोमा या डिप्लोमा (उन्नत) अर्हता को पूरा करना होगा।

ऊपर वर्णित एमई-एमई प्रावधानों के अनुक्रम में डिप्लोमा और डिप्लोमा (उन्नत) अर्हताएं इस प्रकार से डिजाइन की जाएंगी कि प्रत्येक सत्र में अधिगम एक स्वतंत्र अर्हता बन जाए जिससे उद्योग में मान्यता प्राप्त नौकरी की भूमिका प्राप्त हो। डिप्लोमा / डिप्लोमा (उन्नत) अर्हता के सत्रों को डिजाइन करते समय किसी प्रदानकर्ता निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बाद के सत्र में अर्हता क्रमबद्ध प्रकृति की हो जिससे एक से दूसरे सत्र में प्रगति हो या वह डिप्लोमा / डिप्लोमा (उन्नत) अर्हता के लिए संगत बेहतर नौकरी भूमिका से संबंधित हो और उसका हिस्सा हो। ऐसी अर्हता अनुकूल क्रेडिटों के साथ समुचित एनसीआरफ / एनएसक्यूएफ के लिए स्वतंत्र रूप से निर्धारित भी होनी चाहिए।

8.5 एनएसक्यूएफ/एनसीआरएफ स्तर: मौजूदा मानकों के अनुसार एआईसीटीई डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) और पोस्ट डिप्लोमा (डिप्लोमा के बाद 18 महीने या 2 साल की समयावधि) को क्रमश: 4 और 5.5 के स्तर पर रखता है। एआईसीटीई का यूजी डिप्लोमा स्तर 5 पर है। इसी प्रकार, एनसीवईटी के डिप्लोमा को 4.5 के स्तर पर और डिप्लोमा (उन्नत) को 5 के स्तर पर रखा जाएगा।

8.6 एनसीवीईटी मान्यता प्रक्रिया

8.6.1 पात्रता मापदंड

क. ऐसे संस्थानों के प्रकार जहां डिप्लोमा कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा सकते हैं:

i. एआईसीटीई और यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान और विश्विवद्यालय

ii. केंद्र या राज्य सरकारों के संस्थान / संगठन जैसे एनएसटीआई, एनपीटीआई, सीडेक, एनआईएलआईटी, सीआईपीटीई आदि और ऐसे संस्थानों/संगठनों के संबद्ध/अनुबंधित केंद्र ।

iii. डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए राज्य तकनीकी बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, कौशल केंद्र पहल (एसएचआई) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थान।

iv. प्रतिष्ठित उद्योग और उद्योग निकाय ।

v. एनसीवीईटी प्रदानकर्ता निकाय दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदानकर्ता निकाय द्वारा पैनलबद्ध/अनुबंधित संस्थान/केंद्र । केवल उन संस्थानों पर विचार किया जाएगा जिनके पास गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण का सिद्ध ट्रैक रिकार्ड होगा जो उद्योग मान्यता/लिंकेज, उच्च प्लेसमेंट रिकार्ड और समुचित अवसंरचना आदि जैसे मापदंडों से प्रदर्शित होता हो

ख. संस्थानों के लिए अन्य शर्तें:

इसके अतिरिक्त संस्थानों को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार गुणवत्ता दर्शानी होगी। **तथापि, ये शर्ते पैरा 8.6.1.क (ऊपर दिया गया) में उल्लिखित प्रकार (i) और (ii) संस्थानों पर लागू नहीं होंगी और वे डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के लिए स्वत: पात्र हो जाएंगे।**

i- पूर्व अनुभव: संस्थान गुणवत्तायुक्त और संगत तकनीकी/ और व्यावसायिक शिक्षा निरंतर प्रदान करने के पूर्व अनुभाव का साक्ष्य प्रदान करने में सक्षम होने चाहिए जो यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीईटी आदि जैसे विनियामकों या प्रतिष्ठित और बड़े पैमाने के उद्योग द्वारा उच्चतर स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। ऐसे संस्थानों के पास निम्नलिखित होने चाहिए:-

- डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वर्षों (संचयी रूप से) में तकनीकी /व्यावसायिक/ पेशेवर शिक्षा में न्यूनतम 500 प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षित किया हो।
- पिछले तीन वर्षों के लिए निरंतर (बीच में आये कोविड वर्षों की अनुमति) प्रशिक्षण या शिक्षण कार्यकलापों में शामिल रहा हो।
- एनसीवीईटी द्वारा मुश्किल धरातल, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र आदि में कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के लिए साक्ष्य सहित न्यायोचि कारण बताने के अधीन पूर्व अनुभव की अपेक्षाओं में ढील दी जा सकती है।

ii. उद्योग लिंकेज: संस्थान के पास उद्योग निकायों के साथ संबद्धता होनी चाहिए जो एमओयू और करारों जैसे साक्ष्य के माध्यम से दर्शाई जाए। उद्योग के सदस्य/प्रतिनिधि

संस्थान के प्रबंधन/निर्णय लेने का हिस्सा होने चाहिए। उदाहरण के लिए निदेशक बोर्ड, शासी परिषद आदि।

iii. अवसंरचना: वह संस्थान जहां डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता को कार्यान्वित करना प्रस्तावित है। अवसरंचना के संबंध में लागू निम्नलिखित मापदंडों के अधीन होगा:

- शिक्षक - विद्यार्थी अनुपात 1:30 होगा या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जो लागू हो। शिक्षकों में आगंतुक शिक्षक भी शामिल होंगे।
- डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं को चलाने के लिए मूल सुविधायें जैसे उचित औजारों और उपकरणों के साथ सुसज्जित प्रयोगशाला, उचित स्तर की पुस्तकों सहित एक सुसज्जित पुस्तकालय, इंटरनेट की सुविधा और प्रसाधन होंगी जिन्हें प्रदानकर्ता निकाय द्वारा परिभाषित किया जाए और संस्थान द्वारा कड़ाई से पालन किया जाये।

इस दिशानिर्देश के प्रयोजनार्थ "प्रयोगशाला" का अर्थ संगत उपकरणों के साथ कोई क्षेत्र होगा जहां प्रैक्टिकल सत्र, फील्ड वर्क, डेमो वर्क, सिमुलेशन आदि का सुचारू प्रचालन हो सकता हो जिनसे अर्हता में यथा सूचीबद्ध दक्षताएं प्राप्त करने में उम्मीदवार के शिक्षण में मदद मिलती हो। संस्थान के पास अपनी इनहाउस प्रयोगशाला हो सकती है या वह इसके लिए कोई बाहरी व्यवस्था दर्शा सकता है। तथापि, ऐसी व्यवस्था को वैध साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

iv. **नियोजन**: संस्थान को उसके द्वारा प्रशिक्षित पूर्व बैच के लिए नियोजन के उच्च प्रतिशत के अनुसार गुणवत्ता दर्शानी होगी। उसके पास पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्रशिक्षित कुल प्रशिक्षार्थियों के कम से कम 60 प्रतिशत का नियोजन अवश्य होना चाहिए। नियोजन में वेतन, रोजगार, स्वरोजगार और वैध साक्ष्यों द्वारा समर्थित निरंतर उच्चतर शिक्षा शामिल होनी चाहिए।

V**. प्रशिक्षित प्रशिक्षक**: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता कार्यान्वित करने वाले संस्थानों को निम्नलिखित अर्हताओं के साथ केवल प्रशिक्षित प्रशिक्षक और मास्टर प्रशिक्षक नियोजित करने होगे:

- **प्रशिक्षकों के लिए:** किसी प्रशिक्षक के लिए प्रवेश की अपेक्षा कम से कम एक स्तर उच्चतर (अधिमानत: स्तर 6 या उससे अधिक) और संगत डोमेन में उद्योग या प्रशिक्षण का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव (उद्योग अनुभव के रूप में ऐसे अनुभव का कम से कम 50 प्रतिशत सहित) होना चाहिए। संबंधित एबी द्वारा न्यूनतम प्रवेश अपेक्षाएं निर्धारित करते समय यह बात सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, अर्हताओं / अपेक्षाओं को समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा जारी टीओटी दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित से देखा जा सकता है।

- **मास्टर प्रशिक्षकों के लिए:** मास्टर ट्रेनर वह व्यक्ति है जो विशिष्ट क्षेत्र में काफी

अधिक कुशल और ज्ञानी हो तथा ऐसे भावी प्रशिक्षकों के उच्चतर स्तर के प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के द्वारा उन क्षेत्रों में प्रशिक्षक तैयार करने लिए उत्तरदायी हो। कोई प्रमाणित प्रशिक्षक प्रशिक्षण के पांच वर्ष के अनुभव के बाद (अधिमानत: कुछ उद्योग अनुभव सहित) मास्टर ट्रेनर बनने के लिए पात्र हो जाता है।

अतिरिक्त अर्हताओं/अपेक्षाओं को समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा जारी टीओटी दिशानिर्देशों में उल्लेख के अनुसार देखा जा सकता है।

vi. **प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ता**: डिप्लोमा अर्हताएं कार्यान्वित करने वाले संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के साथ प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन अवसंरचना उपलब्ध है।

8.6.2 अनुमोदन हेतु प्रक्रिया: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं चलाने के लिए एबी हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को नीचे रेखांकित किया गया है:

चरण 1: **प्रस्ताव प्रस्तुत करना**

डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता कार्यान्वित करने के इच्छुक एबी को **अनुबंध 4** में प्रदत्त "अनुमोदन हेतु प्रपत्र" के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा जिसमें संस्थान का नाम, पूर्व अनुभव, उद्योग लिंकेज, प्रशिक्षकों के लिए व्यवस्था, मूल्यांकनकर्ताओं के लिए व्यवस्था आदि जैसे संस्थान की अन्य स्थितियों के नोडल संपर्क और अनुपालन जैसे मूल ब्यौरे दिये गये होंगे।

चरण 2: **प्रस्ताव की जांच**

डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता के प्राप्त प्रस्ताव को एनसीवीईटी द्वारा यथा विहित गैर वापसी योग्य अपेक्षित प्रक्रिया शुल्क के साथ अनुमोदन हेतु एनएसक्यूसी को प्रस्तुत किया जाएगा। एनसीवीईटी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) दिशानिर्देशों के अनुसार उसकी समीक्षा करेगा। एनसीवीईटी प्रस्ताव की जांच के लिए एक आंतरिक तंत्र बना सकता है और आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता के लिए बाहरी विशेषज्ञों को बुला सकता है। एनसीवीईटी अपनी जरूरत के अनुसार विशेषज्ञ जानकारी लेने के लिए विषयवस्तु के विशेषज्ञों (एसएमई) का एक पूल भी बना सकता है। इस पूल में शैक्षिक, उद्योग, सरकारी और अन्य संगत समूहों से सदस्य शामिल होंगे।

चरण 3: **अनुमोदन संबंधी निर्णय**

प्रस्ताव के अनुमोदन या अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, संबंधी एक पत्र एनसीवीईटी द्वारा एबी को भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में जहां अनुमोदन दिया गया हो, वहां एबी की सिद्ध क्षमता और विश्वसनीयता पर आधारित

पाठ्यक्रमवार सीटों की संख्या भी एनसीवीईटी द्वारा बतायी जाएगी।

चरण 4 : **डिप्लोमा अर्हता का एसएसक्यूएफ सुमेलन और अनुमोदन**

सभी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं एनसीवीईटी में एनएसक्यूएफ से सुमेलित और एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित करानी होगी।

एनसीवीईटी द्वारा उक्त चरण 3 में यथा उल्लिखित डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं संबंधी किसी एबी के प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात निम्नलिखित मामले हो सकते हैं:

<u>मामला I</u>: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता पहले ही एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमादित हो

इस मामले में इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया जाएगा और एनसीवीईटी की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। अनुमोदन की संपूर्ण प्रक्रिया अपेक्षित प्रपत्र/टेम्पलेट में एबी द्वारा पूर्ण प्रस्ताव और गैर-वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क जमा कराने के दिन से शुरू होकर कुल 60 दिनों में पूरी होगी।

<u>मामला II</u>: ऐसी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं जो एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित न हों

इस मामले में आशय का एक पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा जिसमें सिद्ध क्षमता और विश्वसनीयता के आधार पर पाठ्यक्रमवार सीटों की संख्या बतायी गई होगी। तथापि, एबी को प्रस्तावित डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं को समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित मानक एनएसक्यूएफ प्रतिमानों/प्रपत्रों/एसओपी/स्तर वर्णन के अनुसार एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित करवाना होगा (प्रक्रिया के ब्यौरे हेतु www.ncvet.gov.in पर देखें)। उन्हें प्रवेश और समयावधि से संबंधित एआईसीटीई का अनुपालन भी करना होगा। संबंधित एबी को एलओआई जारी होनी की तारीख से 30 दिनों के भीतर एनएसक्यूसी अनुमोदन हेतु इन अर्हताओं को प्रस्तुत करना होगा।

8.7 अन्य महत्वपूर्ण प्रचालन आवश्यकताएँ: संस्थान में किसी एक वरिष्ठ शिक्षक को ''डिप्लोमा समन्वयक'' के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो समस्त पत्रों और निगरानी प्रयोजनों के लिए नोडल प्राधिकारी होगा।

8.7.1. अनुदेशनात्मक क्षेत्र अधिकतम 30 विद्यार्थी प्रति बैच के बैच आकार के साथ एबी द्वारा सुझाये गये उचित आकार का होगा। एनसीवीईटी प्रदर्शित क्षमता और गुणवत्ता के आधार पर किसी संस्थान को 30 से कम सीटें आवंटित कर सकता है। कोई संस्थान एक बैच प्रति डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता के लिए पात्र होगा। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में

सिद्ध क्षमता और प्रतिष्ठा वाले संस्थानों पर एनसीवीईटी द्वारा अतिरिक्त बैचों के आवंटन हेतु विचार किया जा सकता है।

8.8 मान्यता अवधि: एनसीवीईटी द्वारा डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के कार्यान्वयन के लिए मान्यता की आरंभिक अवधि 01 (01) वर्ष होगी। इसी वर्ष में बैचों की संख्या संबंधित एबी की क्षमता के आधार पर एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित की जाएगी। एनसीवीईटी द्वारा कोई डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता चलाने की मान्यता के वर्ष के भीतर प्रदानकर्ता निकाय जनवरी और / मई और/ या सितंबर के महीनों में अनुमोदित संस्थान (नों) में डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) बैच शुरू कर सकता है। इस वर्ष के चक्र में शुरू बैचों को आवंटित अवधि अर्थात 10वीं के बाद डिप्लोमा के लिए तीन वर्ष और 12वीं के बाद डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) के लिए दो वर्ष में पूरा करना होगा । बशर्ते कि निगरानी के दौरान गंभीर खामियों की सूचना / या अभिज्ञात भारी कमियों के आधार पर एनसीवीईटी द्वारा बैच/संस्थान की मान्यता रद्द न कर दी जाए।

8.8.1 ऐसी समयवधि को प्रदानकर्ता निकाय के अनुरोध करने पर एक (01) वर्ष की आगामी अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में पढ़ाया जा सकता है। यह समय विस्तार प्रदानकर्ता निकाय के निष्पादन पर आधारित होगा।

8.8.2 डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के कार्यान्वयन के लिए मान्यता की अवधि एनसीवीईटी द्वारा किसी प्रदानकर्ता निकाय के रूप में संस्थान की मान्यता के अधीन है और डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं कार्यान्वित करने की उसकी अवधि किसी भी मामले में एनसीवीईटी द्वारा एबी की मान्यता से बाहर नहीं जा सकती है।

8.8.3 मान्यता प्रदान करना वार्षिक निगरानी के अधीन है। निष्पादन के आधार पर एनसीवीईटी मान्यता समाप्त करने सहित आवश्यक सुधारात्मक / दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

8.9 शुल्क

8.9.1 प्रक्रिया शुल्क: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले किसी प्रदानकर्ता निकाय को विहित प्रक्रिया के जरिये 25000 रूपये प्रति अर्हता का गैर-वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क जमा कराना अपेक्षित है। यह शुल्क डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं दोनों के लिए समान रहेगा।

8.9.2 जमानत राशि: एक बार प्रदानकर्ता निकाय को डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं कार्यान्वित

करने के लिए एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने पर वह डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के पूरा होने तक बैंक में सावधि जमा प्राप्ति (एफडीआर) के रूप में जमानत राशि रखेगा। यह जमानत राशि एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या के आधार पर 5000 रूपये प्रति सीट होगी। उदाहरण के लिए यदि एनसीवीईटी किसी संस्थान को 30 उम्मीदवारों का एक बैच चलाने की मान्यता देता है तो जमानत राशि 5000 गुणा 30 अर्थात 1,50,000 होगी। ऐसी व्यवस्था प्रशिक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए की गई है। यह ध्यान रखना होगा कि यह किसी प्रदानकर्ता निकाय से लिया गया कोई शुल्क नहीं बल्कि बैच के चलते रहने तक बैंक में रखी गई एक राशि है। बैच के पूरा होने के बाद ऐसी जमा राशि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8.9.3 प्रशिक्षार्थियों से शुल्क: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं कार्यान्वित करने के लिए एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्ता प्रदानकर्ता निकाय को उस शुल्क संबंधी स्पष्ट नीति और मानक बताने होंगे जिसे वह डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के संबंध में उम्मीदवारों / प्रशिक्षार्थियों से लेगा। ऐसी नीति/मानक बिल्कुल स्पष्ट होंगे और एबी की वेबसाइट पर दर्शाये जाने चाहिए।

8.10 पाठ्यक्रम संचरना: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता का पाठ्यक्रम इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि कुल पाठ्यक्रम का कम से कम 60 प्रतिशत और अधिमानत: 70 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक कौशल के बारे में हो। इसमें नौकरी पर (ओजेटी) प्रशिक्षण और प्रशिक्षु संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होगा जो अन्य व्यावहारिक घटकों के साथ क्षेत्र - संगत और उद्योग द्वारा विदिक्षित होगा। पाठ्यक्रम की संगतता और समीचीन होना उद्योग और नौकरी संपर्क के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।

8.10.1 निम्नलिखित के अलावा पाठ्यक्रम डिजाइन विकास और अनुमोदन से संबंधित मानक एनएसक्यूएफ प्रतिमान, अतिरिक्त उपाय किसी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता के पाठ्यक्रम को डिजाइन करते समय उद्योग भागीदारी के भूमिका को बढ़ाने के लिए स्थापित किये जाएंगे। किसी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता की पाठ्यक्रम संरचना के लिए एक अलग अनुबंध एनसीवीईटी द्वारा एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए अर्हता फाइल प्रपत्र के साथ जारी किया जाएगा।

8.10.2 सभी डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं एनओएस, अर्हताओं, डिजाइन, विशेषज्ञताओं, एकाधिक प्रवेश, एकाधिक निकास विकल्पों और लेटरल प्रवेश विकल्पों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) प्रपत्र में होंगी। इससे एनओएस का क्रेडिटीकरण और दोहरी सामग्री, यदि कोई हो, को हटाया जाना भी सुनिश्चित होगा।

8.10.3 चूंकि अर्हताएं एनओएस आधारित होंगी। इसलिए प्रत्येक एनओएस के अलग ज्ञान और समझ घटक के लिए पाठ्यक्रम अलग से डिजाइन किया जाएगा। अत: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता का पूरा पाठ्यक्रम एनओएस के सभी विशेष रूप से उनके ज्ञान (के) और समझ (यू) घटकों से संगत होगा। इससे डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता डिजाइन करते समय कमतर समयावधि और एनओएस को

अर्हताओं में आसानी से जोड़ना और दोहरी विषयवस्तु को हटाना भी संभव बनेगा जो आगे पाठ्यक्रम में दिखायी देगा।

8.10.4 सभी अर्हताओं में रोजगार अर्हताएं दक्षताएं आवश्यक रूप से शामिल होंगी जिसमें उम्मीदवार को नौकरी के लिए तैयार करने हेतु जरूरी कौशल शामिल होगा। एनसीवीईटी ने एनएसक्यूएफ के विभिन्न स्तरों और विभिन्न समयावधि में अर्हताओं के लिए ईएस संबंधित एनओएस अनुमोदित किये हैं। यह डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं पर भी लागू होगा। तथापि, एनसीवीईटी किसी भी समय अतिरिक्त ईएस को अर्हताओं में शामिल करना आवश्यक बना सकता है।

8.10.5 डिप्लोमा अर्हताओं के मानक और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए यह अनिवार्य है कि एआईसीटीई और यूजीसी डिप्लोमा कार्यक्रम की समान पाठ्यक्रम संरचना का पालन किया जाए। अत: यूजीसी और एआईसीटीई पाठ्यक्रम संरचना के अनुक्रम में निम्नलिखित तत्व डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के पाठ्यक्रम डिजाइन का भी हिस्सा अवश्य होने चाहिए:

क. मूलभूत सूचना जैसे नाम, एनएसक्यूएफ/एनसीआरफ स्तर, समयावधि, क्रेडिट, वैधता, प्रवेश अपेक्षायें आदि।

ख. प्रत्येक मॉड्यूल या निम्नलिखित घटकों के साथ एनओएस के लिए मुख्य अधिगम परिणाम:

- **i.** ज्ञान और समझ
- **ii.** कार्य निष्पादित करने और पूरा करने के लिए अपेक्षित सामान्य, तकनीकी और पेशेवर कौशल
- **iii.** ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग
- **iv.** रोजगार अर्हता कौशल

ग. नियोजन के लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकनकर्ता की अर्हताओं (शैक्षिक/व्यावसायिक) और अनुभव के साथ अपेक्षायें।

घ. साधन और आकलनों की सूची।

ङ. प्रशिक्षण की पद्धति - मॉड्यू / एनओएस वार

- इसमें ओजेटी / परियोजना कार्य / प्रशिक्षु होना / अभ्यास अनुभव आवश्यक रूप से शामिल होना चाहिए।

च. मूल्यांकन की रणनीति

8.11 मूल्यांकन: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यापक और गुणवत्ता - आश्वस्त होगी। केवल शीर्ष निष्पादक एए को उनकी रेटिंग के आधार पर डिप्लोमा मूल्यांकन आयोजित करने के पात्र होंगे। ऐसे समय तक जब एनसीवीईटी द्वारा एए की रेटिंग प्रकाशित की जाये। मूल्यांकन इस प्रयोजनार्थ एनसीवीईटी द्वारा अधिसूचित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। डिप्लोमा अर्हताओं के मूल्यांकन के संबंध में और अधिक मानकों और नयाचारों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त उपाय किये जाएंगे। ऐसे उपाय और विस्तृत मूल्यांकन रणनीति **अनुबंध 5** में दी गई है।

8.12 अधिगम की विषयवस्तु: चूंकि डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताएं व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के लिए होंगी। इसलिए उनमें कम से कम 60 प्रतिशत (70 प्रतिशत की सिफारिश) कौशल घटक अनिवार्य रूप से शामिल होगा। संबंधित एबी यह सुनिश्चित करेगा कि विषयवस्तु उस स्थानीय भाषा में उपलब्ध है, जहां वह अर्हता प्रदान करना चाहता है। वे लोचशीलता बनाये रखने के लिए अधिगम की ऑनलाइन पद्धति, यदि कोई हो, के अनुरूप विषयवस्तु सुनिश्चित करेगा।

8.13 डिप्लोमा प्रदान करना: प्रमाणन एनएसक्यूएफ के प्रमाणन मानकों के अनुसार किया जाएगा।

8.13.1 सभी प्रयोजनों के लिए किसी एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) का अर्थ एनसीवीईटी द्वारा प्राधिकृत किसी प्रदानकर्ता निकाय द्वारा प्रावधानों के अंतर्गत और इन दिशानिर्देशों को जारी करने की तारीख से डिप्लोमा प्रमाणन प्रदान करना होगा।

9. डिप्लोमा के लिए मार्गों का संवर्धन

9.1. एबी प्रशिक्षार्थियों के लिए क्रेडिट एकत्रीकरण और अंतरण के जरिये अधिगम के पूरे हुए वर्षों में संबंधित अर्हताओं को जोड़ने के लिए समर्थकारी प्रावधान बनाएगा ताकि उक्त पैरा 8.2 में यथा प्रदत्त प्रवेश अपेक्षाओं को पूरा करने और उक्त पैरा 8.3 में यथा उल्लिखित संरचनात्मक डिजाइन के अनुपालन के अधीन कोई डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता प्राप्त की जा सके। ऐसे मार्गों को जोड़ने और सृजन की जरूरत एबी द्वारा ब्रिज पाठ्यक्रम के विकास के लिए भी आवश्यक हो सकता है। एनसीआरफ के प्रावधानों के मद्देनजर संबंधित एबी अर्हताओं को जोड़ने इस संबंध मूल्यांकन रणनीतियों और अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में नीति तैयार करेगा और कार्यान्वयन से पहले उसे एनसीवीईटी को प्रस्तुत करेगा। डिप्लोमा अर्हताओं के लिए मार्ग प्रदान करने से एनईपी 2020 में यथा परिकल्पित एक अतिरिक्त प्रगति मार्ग प्रदान करने और जीवन भर सीखने को बढ़ावा देने के द्वारा अन्य एनएसक्यूएफ अर्हताएं भी आकांक्षित हो जाएंगी।

10. निगरानी

10.1. डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं को कार्यान्वित करने वाले सभी एबी मान्यता और विनियमन के लिए एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अधीन होंगे। इसके अलावा, एनसीवीईटी इन अर्हताओं को चलाने के लिए संस्थानों हेतु अतिरिक्त मापदंड और अनुपालन भी विहित कर सकता है जिसमें तीसरे पक्षों द्वारा निरीक्षण जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

11. प्रगति

11.1. डिप्लोमा अर्हताओं में संगत क्षेत्र में डिप्लोमा (एडवांस्ड) के लिए स्वाभाविक प्रगति है। डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) धारकों के उच्च स्तरीय शिक्षा कार्यक्रमों में लेटरल प्रवेश और प्रगति की संभावनाओं का भी एआईसीटीई और यूजीसी के साथ परामर्श करके पता लगाया जाएगा।

12. शिकायत निवारण

12.1 कोई प्रशिक्षार्थी एनसीवीईटी की वेबसाइट (www.ncvet.gov.in) में उपलब्ध एनसीवीईटी की शिकायत निवारण नीति के अनुसार प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन आदि संबंधी अपनी शिकायत एनसीवीईटी के पास दर्ज कराने में सक्षम होगा/होगी। उल्लिखित दिशानिर्देशों में संस्थानों और एबी के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनका समाधान प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार के प्रावधान उपलब्ध हैं।

अनुबंध 1: समिति का गठन और टीओआर

क. डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के एनएसक्यूएफ सुमेलन के अनुमोदन संबंधी दिशानिर्देशों के निर्माण के लिए समिति का गठन

1. डॉ. विनीता अग्रवाल, कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी अध्यक्ष
2. यूजीसी के प्रतिनिधि, सदस्य
3. एआईसीटीई के प्रतिनिधि, सदस्य
4. डीजीटी के प्रतिनिधि, सदस्य
5. एनआईईएलआईटी के प्रतिनिधि, सदस्य
6. एमएसडीई के प्रतिनिधि, सदस्य
7. पीएसएससीआईवीई के प्रतिनिधि, सदस्य
8. एफआईसीएसआई के प्रतिनिधि, सदस्य
9. कृषि एसएससी के प्रतिनिधि, सदस्य
10. नैसकॉम के प्रतिनिधि, सदस्य
11. पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद के प्रतिनिधि, सदस्य
12. चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के प्रतिनिधि, सदस्य
13. कर्नल संतोष कुमार, निदेशक, एनसीवीईटी, सदस्य सचिव

ख. समिति के विस्तृत विचाराधीन विषय (टीओआर) निम्नानुसार होंगे: -

i. ऐसी अर्हताओं को रेखांकित करने के लिए मापदंडों की पहचान करना जिन्हें एनएसक्यूएफ के अंतर्गत डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हो।

ii. व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) और दक्षताओं के दायरे के अंतर्गत आने वाली डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के प्रकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए एक तंत्र बनाना और इस प्रकार अकादमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और वीईटी/कौशल के विनियामक दायरे को स्पष्ट रूप से अलग-अलग करना।

iii. वीईटी और कौशल क्षेत्र से संबंधित डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के अनुमोदन और एनएसक्यूएफ सुमेलन की प्रक्रिया और कार्य विधि का सुझाव देना।

iv. ऐसी अर्हताओं के लिए समयावधि, प्रवेश अपेक्षाओं, पूरा होने, स्तरों आदि जैसे विभिन्न मानकीकृत मापदंड निर्धारित करना।

v. यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीवीईटी जैसे विभिन्न विनियामकों की डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के बीच समतुल्यता स्थापित करने के लिए अंतर संबंध और तंत्र तैयार करना।

vi. ऐसे एबी जिन्हें ऐसे पाठ्यक्रम हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। केटीपी की विशेष अवसंरचना/ कर्मचारी, प्रक्रियाएं और विषवस्तु संबंधी जरूरतें निर्धारित करना।

vii. उक्त 2(क) से (ड.) के आधार पर अर्हताओं के एनएसक्यूएफ सुमेलन और अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

viii. किसी अन्य संबंधित मामले, यदि कोई हो, पर विचार करना ।

अनुबंध 2: भारत में वर्तमान डिप्लोमा पारितंत्र

1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई):

क) डिप्लोमा इंजीनियरिंग (पॉलिटेक्निक): ये ऐसे डिप्लोमा कार्यक्रम हैं जिन्हें विशिष्ट व्यवसाय के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में अधिकांशत: ऑफर किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा बोर्डों और संस्थानों के लिए अद्यतन बनाने और स्वीकार करने के लिए उपलब्ध है। ये इस प्रकार हैं:-

i) डिप्लोमा कार्यक्रम:

- अधिकांशत: डिप्लोमा कार्यक्रम समयावधि क्षेत्र के अनुसार 10वीं कक्षा पास करने के बाद 3 वर्ष या 4 वर्षों की होती है। तथापि, ऐसे कुछ आपवादिक क्षेत्र हैं, जैसे होटल प्रबंधन और फार्मेसी जिनमें प्रवेश की अपेक्षा 2 या 3 वर्ष की समयावधि के साथ 12वीं कक्षा पास करना है।
- सामान्यत: 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए ऐसे डिप्लोमा कार्यक्रमों जिनमें 10वीं पास की प्रवेश अपेक्षा है, लेटरल प्रवेश का प्रावधान है।
- 12वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा पूरा करने के पश्चात इंजीनियरिंग डिग्री कार्यक्रमों में भी लेटरल प्रवेश का प्रावधान है।
- ऐसे डिप्लोमा कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण नीचे दिये गयें हैं:

    - 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए फार्मेसी का डिप्लोमा 2 वर्ष का है।
    - 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए वास्तुकला सहायक डिप्लोमा 3 वर्षों का है।
    - 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा 3 या 4 वर्षों का है।

ii) पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम: पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम या तो 18 महीने या 2 वर्ष की समयावधि के हो सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हता, डिप्लोमा कार्यक्रम में उत्तीर्ण होना है।

https://www.aicte-india.org/sites/default/files/approval/2023-24/APH%202023%20-%2024.pdf

ख) नये तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए मौजूदा दिशानिर्देश

अपेक्षायें और पात्रता

i. प्रवर्तक ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी के पास यथा अपेक्षित भूमि और आवेदन प्रस्तुत करने की

तारीख को या उससे पहले प्रवर्तक ट्रस्ट / सोशायटी/कंपनी के नाम से उसका स्पष्ट कानूनी कब्जा होगा।

ii. तकनीकी संस्थानों के लिए अपेक्षाएं अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय vii में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार होंगी।

iii. संस्थान के कार्यक्रम (मों) की पूरी समयावधि के लिए भवन योजना वास्तुकला परिषद के पास पंजीकृत किसी वास्तुविद/लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षणकर्ता द्वारा तैयार की जाएगी और वह संबंधित राज्य सरकार/यूपी द्वारा यथा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा। तथापि पहले वर्ष के लिए भवन सभी तरह से अवसंरचना अपेक्षाओं के अनुसार पूरा हो जाना चाहिए।

iv. ''तकनीकी संस्थान'' के प्रमुख को ''प्रधानाचार्य/निदेशक'' के नाम से जाना जाएगा और उसके पास तकनीकी संस्थान के कार्यक्रम में प्रधानचार्यों के लिए यथा परिभाषित एआईसीटीई मानकों के अनुसार योगयताएं होंगी।

ग) व्यावसायिक: एआईसीटीई ऐसे तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदित करता है जो बी.वोक./ डी.वोक/कौशल डिप्लोमा (डी.स्किल्स) चलाने की इच्छा रखते हों। एआईसीटीई - अनुमोदित तकनीकी संस्थान इन पाठ्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए पात्र हैं।

i. **व्यावसायिक स्नातक (बी.वोक):** डी.वोक कार्यक्रम की समयाविध 3 वर्ष है और डी.वोक कार्यक्रम में शामिल होने की पात्रता 12वीं पास होना है। डी.वोक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश - एकाधिक निकास (एमई-एमई) का विकल्प है।

- यदि कोई उम्मीदवार पहला वर्ष पूरा करने के बाद कार्यक्रम छोड़ देता है तो उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है; और
- यदि 2 वर्ष पूरा करने के बाद छोड़ता है तो एक डिप्लोमा प्रमाण पत्र उम्मीदवार को दिया जाता है। इन्हें एनसीआरफ/एनएसक्यूएफ के क्रमश: स्तर 4.5 और 5 में दिया गया है।

ii. **व्यासायिक डिप्लोमा डी.वोक (पुनीक्षण के अधीन):**

डि.वोक कार्यक्रम की समयावधि तीन वर्ष है और डी.वोक कार्यक्रम में शामिल होने की पात्रता 10वीं कक्षा पास होना है। प्रदानकर्ता निकाय तकनीकी शिक्षा बोर्ड है। डी.वोक पूरा करने पर विद्यार्थी समान या संबद्ध क्षेत्र में इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में लेटरल प्रवेश ले सकते हैं।

iii. **कौशल डिप्लोमा (डी. कौशल):**

कौशल कार्यक्रम की समयावधि तीन वर्ष है और 10वीं पास नहीं करने वाले विद्यार्थी इस कार्यक्रम के पात्र हैं। प्रदानकर्ता निकाय तकनीकी शिक्षा बोर्ड है । इस समय कौशल डिप्लोमा (डी. कौशल) के लिए कोई समतुल्यता और उर्ध्वाधर गतिशीलता नहीं है।

iv. **परास्नातक डिप्लोमा:**

ये ऐसे डिप्लोमा कार्यक्रम हैं जिन्हें दो वर्षों की अवधि के लिए स्नातक के बाद प्रस्तावित किया जाता है। कुछ मामलों में समयावधि दो वर्ष से कम हो सकती है। (उदाहरण के लिए कार्यकारी कार्यक्रम) परंतु सभी मामलों में यह एक वर्ष से अधिक है। इन कार्यक्रमों को स्नात्कोत्तर डिग्री के समतुल्य माना जाता है

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):

यूजीसी द्वारा डिप्लोमा/प्रमण पत्र पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट नहीं हैं। तथापि, विश्वविद्यालय शासी परिषद/सांविधिक परिषद के आवश्यक अनुमोदन से जहां अपेक्षित हो, डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चला सकते हैं। तथापि, बी.वोक कार्यक्रम के लिए यूजीसी ने दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट किये हैं जो क्रमश: पहला और दूसरा वर्ष पूरा करने के बाद निकलने वाले विद्यार्थियों के लिए डिपलोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) को प्रदान करने की अनुमति देते हैं।

3. अन्य:

निजी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षार्थियों को ऐसे डिप्लोमा प्रमाण प्रदान किये जा रहे हैं जो एआईसीटीई मानकों के अंतर्गत शामिल नहीं है।

अनुबंध 3: विभिन्न नियामकों के तहत डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड)

एआईसीटीई डिप्लोमा प्रकार	एनसीवीईटी डिप्लोमा प्रकार	प्रवेश की अपेक्षा	अवधि	एनसीआर एफ स्तर	क्रेडिट/वर्ष	अर्जित क्रेडिट अंक
डिप्लोमा इंजीनियरिंग*	डिप्लोमा	10वीं पास	3 वर्ष/3600 घंटे	3.5	40	140
				4	40	160
				4.5	40	180
						कुल:480
डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लेटरल प्रवेश	डिप्लोमा में लेटरल प्रवेश	संगत विषय में 12वीं पास या संगत ट्रेड में 10वीं के बाद 2 वर्षीय एनटीसी/एनएसी	2 वर्ष/ 2400 घंटे	4	40	160
				4.5	40	180
						कुल: 340
यूजी डिप्लोमा	डिप्लोमा (एडवांस्ड)	12वीं पास	2 वर्ष/ 2400 घंटे	4.5	40	180
				5	40	200
						कुल:380
पोस्ट डिप्लोमा	-	डिप्लोमा पास	18 महीने से 2 वर्ष तक	5.5	40	220

* एआईसीटीई के कुछ आपवादिक डिप्लोमा कार्यक्रमों जैसे होटल प्रबंधन और फारमेसी में अलग-अलग समयावधि के साथ 12वीं पास के रूप में प्रवेश अपेक्षायें हैं।

** लेटरल प्रवेशकर्ता एआईसीटीई के दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश करेगा।

अनुबंध 4: 'अनुमोदन हेतु प्रपत्र' का टेम्पलेट

अर्हताओं के अनुमोदन हेतु प्रपत्र	
I. मूलभूत विवरण	
1. संस्थान का नाम	
2. पता	
3. नोडल संपर्क व्यक्ति	
4. संपर्क नंबर	
II. अर्हता का विवरण	
5. प्रस्तावित डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हता का नाम	
6. प्रस्तावित अवधि	
7. प्रस्तावित प्रवेश अपेक्षाएं	
8. क्या ये अर्हता निम्न द्वारा अनुमोदित और / या कार्यान्वित है। • एआईसीटीई या यूजीसी या • एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा विनियमित कोई अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय/कॉलेज । यदि हां, तो कृपया विवरण बताएं	
9. क्या अर्हता पहले से ही एनएसक्यूएफ के अनुरूप है? हां /नहीं	
10. यदि हां, तो अनुमोदन और वैधता की तारीख	
11. न्यायसंगतता (उक्त अर्हता कार्यान्वयन की आवश्यकता)	
12. बैच और आवेदन की जाने वाली सीटों की संख्या	
13. प्रशिक्षित प्रशिक्षकों, मास्टर प्रशिक्षकों और टीओटी की संख्या। प्रशिक्षकों की अर्हता भी बताएं	
14. मिश्रित अधिगम अनुपात सहित विस्तृत मूल्यांकन रणनीति और साधन (उल्लिखित तालिका)*	
15. प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं और टीओए की व्यवस्था	

16. शिक्षण सामग्री की व्यवस्था	
III. मान्यता एवं प्रकार	
17. मौजूदा संबद्धता/मान्यता	
18. संस्थान का प्रकार (8.6.1.क में उल्लिखित प्रकारों के अनुसार)	

अनुबंध 5: डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं का मूल्यांकन

1. मूल्यांकन की रणनीति:

डिप्लोमा अर्हताओं के लिए आकलनों को निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा।

1.1 दोहरी श्रेणी प्रदानकर्ता निकायों के लिए :

ये मूल्यांकन प्रदानकर्ता निकाय के मूल्यांकन स्कंध / विभाग द्वारा किया जाएगा। तथापि, एनसीवीईटी में उल्लिखित एबी दिशानिर्देशों की पायरवॉल व्यवस्थायें संबंधित एबी द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी।

1.2 मानक श्रेणी के प्रदानकर्ता निकायों के लिए:

ये मूल्यांकन स्वतंत्र तीसरे पक्ष एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा किये जाएंगे। एनसीवीईटी - एबी - एए और मिश्रित अधिगम दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट सभी मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। चूंकि डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) दीर्घावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं इसलिए उम्मीवारों के निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन की अपेक्षा रखी जाएगी जिसे स्वतंत्र और उचित तरीके से आंतरिक रूप से नियमित और निरंतर आधार पर किया जाता है। अत: इसके अलावा, संबंधित प्रदानकर्ता निकाय उम्मीदवारों के आंतरिक रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक अलग और स्वतंत्र आंतरिक मूल्यांकन स्कंध/ विभागत स्थापित करेगा। यह स्कंध मूल्यांकन का रिकार्ड रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा और एनसीवीईटी द्वारा समय-समय पर इसकी निगरानी की जाएगी।

1.3 अर्हता में यथा वर्णित और एनसीवीईटी मिश्रित अधिगम दिशानिर्देशों में उल्लिखित मूल्यांकन साधनों और पद्धतियों के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना सुनिश्चित की जाएगी। प्रदानकर्ता निकाय मूल्यांकनकर्ताओं के लिए शिक्षा और उद्योग अनुभव की दृष्टि से न्यूनतम मापदंड भी निर्धारित करेगा।

1.4 एबी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी मूल्यांकनकर्ता विधिवत रूप से प्रशिक्षित हों और आकलनों के दौरान समुचित योग्यत के लिए अनिवार्य उद्योग प्रतिनिधित्व विहित कर सकता है।

1.5 जैसा ऊपर बताया गया है एबी अर्हता के पाठ्यक्रम के दौरान उम्मीदवारों का रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। तथापि, पाठ्यक्रम की समाप्ति पर योगात्मक मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें उम्मीदवार के लिए डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) कार्यक्रम के लिए योग्य बनने हेतु सफलतापूर्वक पास होना अनिवार्य होगा।

1.6 संबंधित प्रदानकर्ता निकाय सत्र की शुरूआत में एक प्रशिक्षण और मूल्यांकन कैलेंडर तैयार करेगा और इसे वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। नौकरी में भूमिका, क्षेत्र और भूगोल के आधार पर बैच विशेष के लिए मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकन एजेंसी/मूल्यांकनकर्ता के उचित आवंटन के लिए एक तंत्र होना चाहिए। यह मूल्यांकन पाठ्यक्रम समयावधि की आधिकारिक समाप्ति से पहले किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के परिणामों को संपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम की अंतिम तारीख से दो महीनों के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिए। प्रमाण पत्रों को मूल्यांकन परिणाम घोषित होने की तारीख से एक महीने के भीतर सफल उम्मीदवारों को वितरित किया जाएगा। एबी वर्ष में दो बार प्रश्नों के पूल और तिमाही रूप से कुछ प्रश्न बैंकों को अनुमोदित करेगा जिन्हें डिप्लोमा अर्हताओं के लिए एए द्वारा तैयार किया गया है।

1.7 डिप्लोमा/डिप्लोमा (एडवांस्ड) अर्हताओं को कार्यान्वित करने वाला एबी एनएसक्यूएफ सुमेलन और अनुमोदन के लिए अर्हता फाइल को प्रस्तुत करते समय उस अर्हता विशेष से संबंधित विस्तृत मूल्यांकन रणनीति को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा। इस रणनीति को अर्हता की अलग आवश्यकताओं, एनसीवीईटी एए और मिश्रित अधिगम दिशानिर्देशों तथा एआईसीटीई/यूजीसी मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।.

2. मूल्यांकन प्रकार

2.1 मूल्यांकन प्रक्रिया में औपचारिक लिखित परीक्षाओं की प्रक्रिया को अब पुन: परिभाषित किया जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षायें इन दिनों मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। मूल्यांकन को नैदानिक, रचनात्मक, योगात्मक, स्वामानक मापी, मानक संदर्भित, मापदंड संदर्भित, समकक्ष से समकक्ष यादृच्छिक और स्वामूल्यांकन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यावसायिक कौशल योगयताओं का मूल्यांकन एक प्रैक्टिकल परीक्षा के साथ आनलाइन/पेपर आधारित मूल्यांकन का एक संयोजन है।

3. मूल्यांकन के साधन :

मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नानुसार निम्नलिखित साधनों/प्रक्रिया के एक संयोजन का प्रयोग करेगी:

क) ऑफलाइन मूल्यांकन और परीक्षा।

ख) अधिगम का मूल्यांकन सामान्यत: ग्रेड आधारित होता है और उसमें कक्षा परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, अंतिम परियोजना और मानकीकृत परीक्षण, संपुष्टि मूल्यांकन शामिल हो सकते हैं।

ग) अधिगम परिणामों की जांच करने के लिए अंतर्निहित निरंतर/रचनात्मक/योगात्मक मूल्यांकन के साथ एलएमएस आधारित प्रॉक्टर्ड विषयवस्तु प्रदान करना। अंतर के लिए एससीओआरएम अनुपालन विषयवस्तु के सृजन के साथ एक खुले स्रोत एमएमएस उत्पाद के प्रयोग का सुझाव दिया गया है।

घ) ऑनलाइन प्रश्न बैंक: बहुविकल्पीय, चित्रात्मक, आनुमानिक, मिलान, क्रमबद्धता, सही/गलत, रिक्त स्थान भरे, फाइल अपलोड और निबंध।

ङ) समूह परीक्षाएं

च) मांग करने पर परीक्षाएं: अधिक लोचशीलता और विद्यार्थी केंद्रित होने का प्रस्ताव करने के लिए मांग करने पर परीक्षाएं करवाना।

छ) विद्यार्थियों के ध्यान, समझ की जांच करने और विषय को आत्मसात करने के लिए प्रयुक्त अंतर्निहित नियंत्रणों के साथ मूल्यांकन के साधन।

ज) अधिगम परिणामों की जांच के लिए सुविधा सहित मूल्यांकन इंजन ।

झ) प्राप्टर्ड खुली पुस्तक परीक्षा: ऑफलाइन या ऑनलाइन।

ञ) सूक्ष्म/प्रमुख परियोजना कार्यकरण और मूल्यांकन ।

ट) मौखिक परीक्षा: ऑफलाइन/ऑनलाइन ।

ठ) मूल्यांकन साक्षात्कार: ऑफलाइन/ऑनलाइन ।

ड) अंतर्निर्मित नियंत्रणों, बायामेट्रिक्स, सुरक्षा, मूल्यांकन आदि सहित प्राप्टर्ड ऑनलाइन ।

ढ) अंतर्निर्मित नियंत्रणों, बायामेट्रिक्स, सुरक्षा, मूल्यांकन आदि सहित परीक्षा ।

ण) आकलनों के लिए एआर/वीआर/एक्सआर का भी प्रयोग किया जा सकता है।